NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 16-11-2024

विषय सूची

गुरु नानक जयंती

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर CAG द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

घृणास्पद भाषण (Hate speech) का विरोध

मधुमेह के लिए 'पीपीपी प्लस पीपीपी (PPP plus PPP)' मॉडल

भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली का लेन-देन

नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य [New Collective Quantified Goal (NCQG)]

संक्षिप्त समाचार

जनजातीय गौरव दिवस

बोडोलैंड महोत्सव

अनिवार्य सुलभता मानकों पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

ऑस्ट्रेलिया की MATES योजना

विश्व बैंक ने ऋण देने की क्षमता वृद्धि की

ऑपरेशन द्रोणागिरी (Operation Dronagiri)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

गुरु नानक जयंती

संदर्भ

- हाल ही में पूरे भारत में गुरु नानक की 555वीं जयंती मनाई गई।

परिचय

- गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और दस सिख गुरुओं में से पहले गुरु हैं।
- वे 15वीं शताब्दी में रहते थे और मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे।
- उनकी शिक्षाएँ गुरु ग्रंथ साहिब (सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ) में समाहित हैं, और समकालीन समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं।

गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएँ

- **धार्मिक सहिष्णुता:** धार्मिक विविधता से चिह्नित युग में, गुरु नानक का एक दिव्य शक्ति के तहत सभी लोगों की एकता पर बल आपसी सम्मान और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है।
  - यह शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देती है, जो आज के वैश्वीकृत और विविधतापूर्ण विश्व में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
- **समानता और सामाजिक न्याय:** गुरु नानक ने जाति-आधारित भेदभाव को खारिज करते हुए सामाजिक समानता का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और इस विचार को बढ़ावा दिया कि सभी व्यक्ति समान हैं।
  - यह शिक्षा समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक बनी हुई है जहाँ सामाजिक न्याय, भेदभाव और असमानता के मुद्दे बने हुए हैं।
- **मानवता की सेवा:** "सेवा" या निस्वार्थ सेवा की अवधारणा सिख धर्म का केंद्र है। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को मानवता के लिए दयालुता और सेवा के कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया।
  - यह शिक्षा आधुनिक विश्व में बनी हुई गरीबी, असमानता और मानवीय संकटों की चुनौतियों का समाधान करने में प्रासंगिक है।
  - उन्होंने सामूहिक पूजा (संगत) के लिए नियम बनाए जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है।
- **ईमानदार आजीविका:** गुरु नानक ने कठोर मेहनत और नैतिक साधनों के माध्यम से ईमानदारी से जीविकोपार्जन करने के महत्व पर बल दिया।
  - समकालीन विश्व में, जहाँ भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिक व्यवहार के मुद्दे प्रचलित हैं, गुरु नानक की शिक्षाएँ व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- **आध्यात्मिक एकता:** उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' (निराकार ईश्वर की भक्ति और पूजा) रूप का समर्थन किया।
  - यह शिक्षा व्यक्तियों को विभिन्न धर्मों और परंपराओं के बीच समानताएँ एवं संबंध खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे एकता एवं साझा मानवता की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** गुरु नानक की शिक्षाएँ सभी सृष्टि के परस्पर संबंध एवं पर्यावरण का सम्मान करने और उसे संरक्षित करने के महत्व पर बल देती हैं।
  - समकालीन पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए, ये शिक्षाएँ प्रकृति और संधारणीय जीवन के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित करती हैं।

गुरु नानक की विरासत

- **ननकाना साहिब:** शहर में उनके जन्मस्थान पर एक गुरुद्वारा बनाया गया था जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है।
- **करतारपुर कॉरिडोर:** नवंबर 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कॉरिडोर बनाया गया था।
- यह सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्षों तक धर्मोपदेश किया था।

सिख धर्म

- भक्ति आंदोलन से प्रभावित पंजाब में 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा स्थापित।
- सिख का अर्थ है 'शिक्षार्थी' और आस्था को गुरमत (गुरु का मार्ग) कहा जाता है।
- यह एकेश्वरवाद (एक ईश्वर, एक ओंकार) और व्यक्ति की आंतरिक धार्मिक स्थिति और ईश्वर के स्मरण (सिमरन) पर आधारित है।
- यह अनुष्ठानों की निंदा करता है और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है।
- गुरु ग्रंथ साहिब (आदि ग्रंथ) को जीवित गुरु माना जाता है।
- गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा (पुरुषों और महिलाओं का सैन्य समूह) का पुनर्निर्माण किया।
- उन्हें पंज कक्का पहनना होता है: कड़ा, कचेरा, कृपाण, केश और कंघा।

Source: BL

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर CAG द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

संदर्भ

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है।

परिचय

- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 में लागू हुआ, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए स्पष्ट जनादेश प्रदान किया।
  - इसने शहरी क्षेत्रों में स्वशासी स्थानीय निकायों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण किया।
  - इसने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया।
- **CAG द्वारा लेखापरीक्षा:** इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य 12वीं अनुसूची में निहित कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से ULBs के सशक्तिकरण का पता लगाना था। 2014 से 2021 के बीच 18 राज्यों के 393 शहरी स्थानीय निकायों में प्रदर्शन लेखापरीक्षा की गई।

संविधान की 12वीं अनुसूची

- इसे 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं।
- इस अनुसूची में 18 विषय हैं।
  - भूमि उपयोग का विनियमन और भूमि भवनों का निर्माण।

- शहरी नियोजन जिसमें नगर नियोजन भी शामिल है।
- आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना।
- शहरी गरीबी उन्मूलन।
- घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति।
- अग्निशमन सेवाएँ।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- गन्दी बस्तियों का सुधार और उन्नयन।
- समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करना।
- शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना।
- सड़कों और पुलों का निर्माण।
- शहरी सुख-सुविधाओं और सुविधाओं का प्रावधान।
- सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना।
- कब्रिस्तान और कब्रगाह, श्मशान और श्मशान घाट और विद्युत शवदाह गृह।
- मवेशी तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम।
- बूचड़खानों और चमड़े के कारखानों का विनियमन।
- सार्वजनिक सुविधाएँ जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं।
- जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े।

CAG रिपोर्ट के निष्कर्ष

- **कार्यों का हस्तांतरण:** 18 राज्यों में 18 में से 17 कार्यों का हस्तांतरण किया गया, केवल 4 कार्यों को पूर्ण स्वायत्तता के साथ प्रभावी रूप से हस्तांतरित किया गया।
  - 4 कार्यों में कब्रिस्तान, सार्वजनिक सुविधाएं, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम और बूचड़खानों का विनियमन शामिल हैं।
  - केवल 9 राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और त्रिपुरा) ने सभी 18 कार्यों का हस्तांतरण किया है।

Figure 1.1: Devolution of municipal functions in 18 States

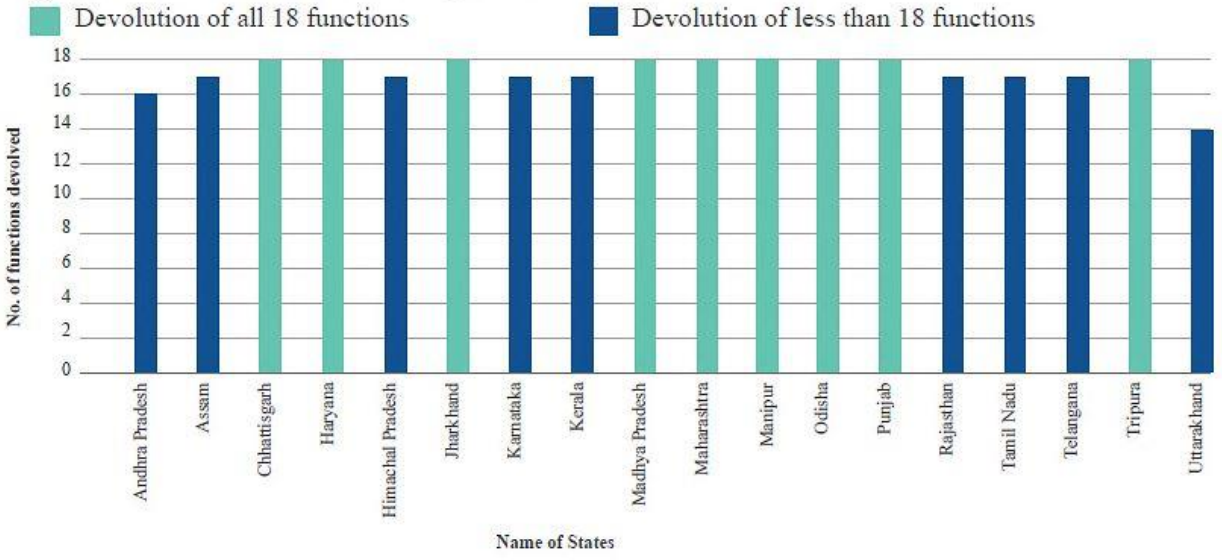

- **ULBs के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ:** ULBs के कुल राजस्व का केवल 32% ही स्वयं का था और शेष राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान था।
  - 18 राज्यों में ULBs के राजस्व संसाधनों और व्यय के बीच 42% का अंतर था।
- **कर्मचारियों की कमी:** जबकि शहरों में जनसँख्या तेजी से बढ़ रही है, अधिकांश राज्यों में ULBs के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है।
- **महिलाओं के लिए आरक्षण:** 14 राज्यों में से छह ने महिलाओं के लिए अपने नगर परिषद सीटों का 50% आरक्षित किया है, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की संवैधानिक आवश्यकता से अधिक है।
- **वार्ड परिसीमन:** 15 राज्यों में से केवल 4, अर्थात् हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने वार्ड परिसीमन के लिए राज्य चुनाव आयोगों को सशक्त बनाया है, जबकि शेष 11 में यह राज्य सरकार के पास है।
- **मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव:** केवल 5 राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।

अनुशंसाएँ

- **आवश्यक परिवर्तन:** प्रत्येक पांच वर्ष में नगर निगम चुनाव कराने, अव्यवस्थित शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए योजना समितियों का गठन करने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य वित्त आयोगों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- **वैज्ञानिक बजट:** ULBs को अपने बजट को वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें धन के यथार्थवादी प्रक्षेपण को ध्यान में रखा जाए।
- **निधियों का जारी होना:** राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की निगरानी करनी चाहिए ताकि आवंटित अनुदान पूरी तरह से और समय पर जारी हो सके।
- **शक्तियों का प्रत्यायोजन:** राज्य सरकार आवश्यक कर्मचारियों के मूल्यांकन और भर्ती जैसे मामलों में शहरी स्थानीय निकायों को जनशक्ति संसाधनों पर पर्याप्त शक्तियाँ सौंपने पर विचार कर सकती है।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की।
  - ये दो संशोधन संविधान के भाग IX में जोड़े गए, जिसका शीर्षक क्रमशः "पंचायत" और भाग IXA का शीर्षक "नगरपालिकाएँ" था।
- दोनों संशोधनों के बाद, पंचायतों और नगर पालिकाओं को स्वशासन की संस्थाएँ कहा गया।
- ULBs छोटे स्थानीय निकाय हैं जो निर्दिष्ट जनसँख्या वाले शहर या कस्बे का प्रशासन या शासन करते हैं।
  - राज्य सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों की एक लंबी सूची सौंपी गई है।
  - ये कार्य सामान्यतः सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण, विनियामक कार्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसंरचना कार्य और विकास गतिविधियों से संबंधित हैं।
- ULBs को मुख्य रूप से भारत सरकार (GOI) और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में धन प्राप्त होता है। निकाय के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, और उत्तराधिकारी निकाय के चुनाव पिछले निकाय के कार्यकाल की समाप्ति से पहले समाप्त होने थे।
  - निकाय के विघटन के मामले में, अनिवार्य रूप से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना था।
  - इन चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक

राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग भी होगा।

Source: HT

घृणास्पद भाषण (Hate speech) का विरोध

समाचार में

- मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि घृणास्पद भाषण झूठे दावों या गलत कथनों से अलग है।

घृणास्पद भाषण(Hate Speech)

- 'घृणास्पद भाषण' की कोई विशिष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है।
- लेकिन यह भाषणों, लेखन, कार्यों, संकेतों या अभ्यावेदन को संदर्भित करता है जो हिंसा को भड़काते हैं या समूहों के बीच वैमनस्य फैलाते हैं।
- विधि आयोग (267वीं रिपोर्ट) द्वारा नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन अभिविन्यास, धर्म आदि के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा को भड़काने के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - डर, चिंता या हिंसा उत्पन्न करने का इरादा, घृणा या हानि को रोकने के लिए मुक्त भाषण को सीमित करना।

घृणास्पद भाषण के प्रभाव

- **बहुआयामी मुद्दा:** घृणास्पद भाषण एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके मानवाधिकारों, सामाजिक सामंजस्य और लोकतंत्र पर गंभीर परिणाम होते हैं।
    - ऐतिहासिक रूप से हिंसा, घृणा अपराध, युद्ध और नरसंहार को भड़काने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
- **व्यक्तियों और समाज पर प्रभाव:** लक्षित लोगों और उनके समुदायों की गरिमा और अधिकारों को सीधे हानि पहुंचाता है।
    - पीड़ितों को समाज से बाहर करता है, उन्हें चुप करा देता है और सार्वजनिक परिचर्चा को बाधित करता है।
- सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है, समावेश को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खतरे में डालता है।
- यह सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करता है और साझा मूल्यों को नष्ट करता है, शांति, स्थिरता, सतत विकास तथा सभी के लिए मानवाधिकारों की पूर्ति को पीछे की ओर ले जाता है।

घृणास्पद भाषण से निपटने में चुनौतियाँ:

- डिजिटल उपकरणों द्वारा ऑनलाइन घृणास्पद भाषण और गलत सूचनाओं का उदय, महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों को उत्पन्न करता है क्योंकि सरकारें इंटरनेट के पैमाने और गति पर कानूनों को लागू करने के लिए संघर्ष करती हैं।
- कम लागत, उत्पादन में सुलभता और गुमनामी व्यापक प्रसार को सक्षम बनाती है। यह वास्तविक समय में वैश्विक दर्शकों तक पहुँच सकता है तथा समय के साथ फिर से उभर सकता है, जिससे प्रभाव पुनः प्राप्त हो सकता है।

- विविध प्लेटफार्मों और समुदायों की निगरानी करने में कठिनाई। इंटरनेट कंपनियों को हानिकारक सामग्री को नियंत्रित करने और हटाने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है।

भारतीय कानून में प्रावधान

- **धारा 153A, IPC:** धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को अपराध मानता है।
  - सजा: 3 वर्ष तक की कैद।
  - पूजा स्थलों या धार्मिक समारोहों के दौरान किए जाने पर 5 वर्ष तक की सजा।
- **धारा 505, IPC:** दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक बयानों को दंडित करता है:
  - 505(1): विद्रोह, सार्वजनिक भय या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने वाले बयान।
  - 505(2): समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान।
  - 505(3): पूजा स्थलों या धार्मिक सभाओं में अपराध होने पर बढ़ी हुई सजा (5 वर्ष तक)।
  - सजा: 3 वर्ष तक की कैद।

विधि आयोग द्वारा प्रस्ताव

- घृणा फैलाने वाले भाषणों के लिए IPC में वर्तमान धाराओं से अलग विशिष्ट प्रावधान जोड़ें।
- **प्रस्तावित धाराएँ:**
  - **धारा 153C:** धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भय, चिंता या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गंभीर रूप से धमकी भरे शब्दों, संकेतों या दृश्य चित्रण को अपराध की श्रेणी में रखती है।
    - सजा: 2 वर्ष तक की कैद, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों।
  - **धारा 505A:** व्यक्तियों या समूहों के विरुद्ध भय पैदा करने वाले या हिंसा भड़काने वाले शब्दों या संकेतों को दंडित करती है।
    - सजा: 1 वर्ष तक का कारावास, ₹5,000 का जुर्माना या दोनों।

अन्य अनुशंसाएँ

- **एम.पी. बेजबरुआ समिति:** नस्लीय भेदभाव और घृणास्पद भाषण को दंडित करने के लिए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
- **टी.के. विश्वनाथन समिति:** इसी तरह के परिवर्तनों की सिफारिश की।
- **आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए समिति:** वर्तमान में आपराधिक कानून में व्यापक सुधारों की जांच कर रही है, जिसमें घृणास्पद भाषण के लिए प्रावधान शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां

- अक्टूबर 2022 में, न्यायालय ने देश में "घृणा के माहौल(climate of hate)" पर अफसोस जताया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज करें।
- 2018 में, न्यायालय ने घृणा अपराधों की निंदा की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य के "पवित्र कर्तव्य" पर बल दिया।
- **तहसीन पूनावाला निर्णय:** इस निर्णय ने राज्यों और पुलिस को भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग को रोकने, नियंत्रित करने एवं रोकने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए।

निष्कर्ष और आगे की राह

- नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए प्रभावी एवं सतत उपाय आवश्यक हैं।

- इसका लक्ष्य खतरनाक वृद्धि से बचना और समावेशी समाजों का निर्माण करना है।

Source : TH

मधुमेह के लिए 'पीपीपी प्लस पीपीपी(PPP plus PPP)' मॉडल

संदर्भ

- भारत में मधुमेह की महामारी तेजी से फैल रही है, जिससे 212 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं - जो वैश्विक मधुमेह के भार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चुनौती से निपटने के लिए, विश्व मधुमेह दिवस (14 नवंबर) पर "पीपीपी प्लस पीपीपी" मॉडल प्रस्तुत किया गया।

"पीपीपी प्लस पीपीपी" मॉडल

इस संकट से निपटने में "पीपीपी प्लस पीपीपी" मॉडल विशेष रूप से प्रासंगिक है:

- **मधुमेह प्रबंधन में घरेलू पीपीपी**
  - सस्ती रीकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए फार्मास्युटिकल फर्मों के साथ सहयोग करना।
  - जागरूकता अभियान और सामूहिक जांच करने के लिए निजी अस्पतालों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।
  - ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मधुमेह क्लीनिक स्थापित करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**
  - देखभाल प्रोटोकॉल को परिष्कृत करने के लिए WHO और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ जैसे संगठनों के साथ साझेदारी करना।
  - पूर्वानुमानित विश्लेषण और व्यक्तिगत उपचार के लिए AI और मशीन लर्निंग का लाभ उठाना।
  - अनुसंधान और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कार्यक्रमों के लिए निवेश आकर्षित करना।

मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस (DM) के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण:**
  - यह एक क्रॉनिक मेटाबोलिक विकार है, जिसकी विशेषता रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जो इंसुलिन बनाता है, उसके प्रति प्रतिरोधी हो जाता है।
- **मधुमेह के प्रकार:**
  - **टाइप 1 डायबिटीज़:** एक ऑटोइम्यून विकार जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर आक्रमण करती है।
  - **टाइप 2 डायबिटीज़:** सबसे सामान्य प्रकार, जो प्रायः मोटापे और गतिहीन जीवनशैली जैसे जीवनशैली कारकों से जुड़ा होता है। शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है।
  - **गर्भावस्था संबंधी मधुमेह:** गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है और सामान्यतः बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है।
- **लक्षण:** बार-बार पेशाब आना, प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, धुंधला दिखाई देना और थकान।
- **मधुमेह की जटिलताएँ:** हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी रोग, तंत्रिका क्षति, नेत्र क्षति (रेटिनोपैथी) आदि
- **व्यापकता:** विश्व भर में लगभग 830 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहता है।
  - भारत में मधुमेह का भार बहुत अधिक है, जहाँ लगभग 212 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं।

- **WHO का लक्ष्य:** विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2025 तक मधुमेह और मोटापे में वृद्धि को रोकना है।

इंसुलिन और मधुमेह को नियंत्रित करने में इंसुलिन की भूमिका

- इंसुलिन, अग्न्याशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है, जो रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक चाबी की तरह कार्य करता है, जो रक्तप्रवाह से ग्लूकोज (चीनी) को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कोशिकाओं को अनलॉक करता है।
- इस ग्लूकोज का उपयोग तब शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा के रूप में किया जाता है। मधुमेह में, या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है (टाइप 1 मधुमेह) या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन (टाइप 2 मधुमेह) के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। परिणामस्वरूप, रक्तप्रवाह में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता है।

भारत में मधुमेह से निपटने के लिए सरकारी पहल

- **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):** यह कार्यक्रम मधुमेह सहित इन गैर-संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** इस मिशन में मधुमेह की जांच, शीघ्र निदान और उपचार के लिए घटक शामिल हैं। यह स्वस्थ जीवन शैली और निवारक उपायों को भी बढ़ावा देता है।
- **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY):** यह स्वास्थ्य बीमा योजना मधुमेह से संबंधित उपचारों सहित विभिन्न चिकित्सा उपचारों के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करती है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP):** यह योजना सामान्य जनता को इंसुलिन सहित सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य शीघ्र पता लगाने, उपचार और रोकथाम के माध्यम से मधुमेह के भार को कम करना है।

Source: PIB

भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली का लेन-देन

समाचार में

- भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने संयुक्त रूप से भारतीय ग्रिड के माध्यम से प्रथम त्रिपक्षीय विद्युत लेन-देन का उद्घाटन किया, जो एकीकृत दक्षिण एशियाई विद्युत बाजार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनुबंध के बारे में

- अक्टूबर 2024 में NTPC विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड के बीच बिजली बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- **बिजली निर्यात विवरण:** इस बिजली लेन-देन में भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट तक बिजली का निर्यात शामिल है।
  - बिजली प्रवाह भारतीय ग्रिड के माध्यम से पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन है।
- **अपेक्षित प्रभाव:** इस लेन-देन से बिजली क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय संपर्क बढ़ने और सभी हितधारकों को लाभ होने की संभावना है।
  - यह ऊर्जा क्षेत्र में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच सहयोग और आपसी लाभ को मजबूत करेगा।

भारत की ऊर्जा व्यापार महत्वाकांक्षाएं:

- भारत का लक्ष्य दक्षिण एशिया में बिजली और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनना है, जिसमें श्रीलंका को LNG की आपूर्ति करना और समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर कार्य करना शामिल है।
- भारत और पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान बिजली व्यापार ऊर्जा सहयोग के लिए 2014 सार्क फ्रेमवर्क समझौते के तहत द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है।
- **प्रमुख एजेंसियाँ:** NTPC विद्युत व्यापार निगम (NVVN) PTC इंडिया के साथ सीमा पार बिजली व्यापार के लिए नोडल एजेंसी है।
    - 2021 से, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) ने नेपाल के साथ बिजली व्यापार की सुविधा प्रदान की है।
- **नीति में सुधार:** भारत ने क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और ग्रिड विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए 2023 में बिजली के आयात/निर्यात के लिए स्पॉट पावर ट्रेडिंग और संशोधित दिशा-निर्देशों के लिए बाजार युग्मन की शुरुआत की।
    - भारत दक्षिण पूर्व एशिया से मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप तक अक्षय ऊर्जा व्यापार को सक्षम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मेगा ग्रिड बनाने के लिए OSOWOG पहल को आगे बढ़ा रहा है।
    - भारत OSOWOG ग्रिड बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर के साथ सहयोग कर रहा है, जिससे भाग लेने वाले देशों के लिए अक्षय ऊर्जा तक कम लागत वाली पहुँच की सुविधा मिल सके।

Source : TH

नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य[New Collective Quantified Goal (NCQG)]

संदर्भ

- जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन (COP29) में देश जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के मसौदे पर बातचीत कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- 2009 में, COP15 में, विकसित देशों ने 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया।
- COP21 2015 के परिणामस्वरूप पेरिस समझौता हुआ, जिसमें देशों ने सहमति व्यक्त की कि वे 2024 में वित्त के लिए एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
- यह NCQG 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य का स्थान लेगा - और उससे भी अधिक होगा।
- NCQG पर अज़रबैजान में चल रहे COP29 में निर्णय लिए जाने और उसे अपनाए जाने की उम्मीद है।

NCQG क्या है?

- नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) मूल रूप से वित्त के लिए एक लक्ष्य है।
    - यह उन निधियों को इंगित करेगा जिन्हें विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वार्षिक एकत्रित किया जाना चाहिए।
    - यह विकसित और विकासशील देशों के बीच सभी वार्ता समूहों की प्राथमिकताओं और वरीयताओं को दर्शाता है - $100 बिलियन से $2 ट्रिलियन तक।

- **NCQG की आवश्यकता:**
  - विकासशील देशों की जलवायु वित्त आवश्यकताओं के लिए 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा अपर्याप्त है, जो कि अलग-अलग अनुमानों के अनुसार, 2030 तक प्रति वर्ष 1-2.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच है।
  - 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य बातचीत से तय नहीं हुआ था - यह एक राजनीतिक लक्ष्य था।
  - विकासशील देशों ने व्यक्त किया कि जलवायु वित्त "पर्याप्त, पूर्वानुमानित, सुलभ, अनुदान-आधारित, कम ब्याज वाला और दीर्घकालिक" होना चाहिए।

जलवायु वित्त क्या है?

- जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम करने या उसके अनुकूल होने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर निवेश से है।
- **अनुकूलन:** इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना और उनके कारण होने वाली हानि को रोकने या कम करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है।
- **शमन:** इसमें वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करना शामिल है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम गंभीर हों।

वित्त पोषण किसे करना चाहिए?

- विकासशील देशों ने तर्क दिया है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 150 वर्षों में (अब) समृद्ध विश्व के उत्सर्जन के कारण ही सबसे पहले जलवायु समस्या उत्पन्न हुई थी।
- जलवायु परिवर्तन पर 1994 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अनुसार उच्च आय वाले देशों को विकासशील विश्व को जलवायु वित्त प्रदान करना आवश्यक था।
  - हालाँकि, उच्च आय वाले देशों ने अभी तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की है।

जलवायु वित्त के लिए वैश्विक पहल

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, भूमि क्षरण एवं अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए अनुदान प्रदान करता रहा है। यह बहुपक्षीय संगठनों, सरकारों और निजी क्षेत्र के साथ कार्य करता है।
- **अनुकूलन निधि:** इसकी स्थापना 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के उन विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF):** जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत 2010 में स्थापित, GCF विकासशील देशों को धन प्रदान कराने का एक प्राथमिक साधन है।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण:** यह पहल प्रायः कार्बन मूल्य निर्धारण (कार्बन कर या कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम) जैसे बाजार-आधारित समाधानों को भी एकीकृत करती है जो जलवायु समाधानों में पुनर्निवेश किए जाने वाले धन को उत्पन्न करते हुए उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

जलवायु वित्त के लिए भारत की पहल

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** इसे 2008 में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलवायु क्रियाओं के लिए शुरू किया गया था।

  - इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा दी गई है।
- **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (NAFCC):** इसे 2015 में भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- **स्वच्छ ऊर्जा निधि (CEF):** सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की है। यह निधि कोयले पर लगाए जाने वाले उपकर से प्राप्त होती है, जिसे स्वच्छ ऊर्जा उपकर के रूप में जाना जाता है, जो कोयला उत्पादन और आयात पर लगाया जाता है।
- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT):** AMRUT का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और शहरों को अधिक सतत और जलवायु-लचीला बनाना है।
  - इसमें जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हरित स्थानों से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश:** भारत नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विकास में वैश्विक नेता बन गया है।
  - भारत ने पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास में भी महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।
  - इन निवेशों को भारत सरकार द्वारा कर छूट, सब्सिडी और भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) सहित तरजीही वित्तपोषण तंत्र जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

जनजातीय गौरव दिवस

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से जनजातीय कल्याण के लिए 6,650 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

जनजातीय गौरव दिवस के बारे में

- यह भारत के आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है।
- यह आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- इसे 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान स्थापित किया गया था।
- यह संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करता है।
- ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख आदिवासी आंदोलनों पर प्रकाश डालता है, जिसमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान (क्रांति) भी शामिल है, जिन्होंने ब्रिटिश शोषण का जमकर विरोध किया और राष्ट्रीय जागृति को प्रेरित किया, जिससे आदिवासी समुदायों के बीच भगवान के रूप में उनकी श्रद्धा अर्जित हुई।

- **महत्व:** यह भारत की सांस्कृतिक विविधता, विरासत और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को मान्यता देता है।
    - यह भारत की स्वतंत्रता और प्रगति में आदिवासी समुदायों की भूमिका की एकता, गौरव और मान्यता को बढ़ावा देता है।

Source: TH

बोडोलैंड महोत्सव

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया।

परिचय

- यह दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो बोडोलैंड में भाषा, साहित्य और शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- **थीम:** 'समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव'।
- इसका उद्देश्य बोडोलैंड की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत, पारिस्थितिक जैव विविधता एवं पर्यटन क्षमता की समृद्धि का लाभ उठाना है।
- महोत्सव 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से सुधार और लचीलेपन की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मना रहा है।

2020 में बोडो शांति समझौता

- यह असम के बोडोलैंड क्षेत्र में दशकों से चली आ रही हिंसा और अशांति को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है।
- **2020 समझौते के मुख्य प्रावधान;**
    - **क्षेत्रीय परिवर्तन:** बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (BTAD) का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) कर दिया गया।
    - **अधिक गांवों को सम्मिलित करना:** BTR में बोडो-बहुल गांवों को जोड़ा गया, जबकि गैर-बोडो-बहुल गांवों को बाहर रखा गया।
    - **स्वायत्तता और शासन:** BTR को बढ़ी हुई प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गईं, जिससे अधिक स्वायत्तता के साथ स्थानीय शासन में सुधार हुआ।

Source: AIR

अनिवार्य सुलभता मानकों पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से अनिवार्य सुगम्यता मानकों को लागू करने का निर्देश दिया।

परिचय

- न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक "सार्थक पहुँच" की आवश्यकता पर बल दिया और दो-आयामी दृष्टिकोण को अनिवार्य बनाया:
    - वर्तमान बुनियादी ढाँचे को पहुँच मानकों के अनुकूल बनाना, और

  - यह सुनिश्चित करना कि सभी नए बुनियादी ढाँचे को शुरू से ही समावेशी बनाया जाए।
- निर्णय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD) क्या है?

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRPD) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत एक आवश्यक अधिकार के रूप में सुलभता को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है।
- 2016 में RPwD अधिनियम लागू किया गया था और इसका उद्देश्य "यह सुनिश्चित करना है कि सभी विकलांग व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के और समान अवसरों के साथ सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।"
- अधिनियम के तहत तैयार किए गए 2017 के RPwD नियम विशिष्ट सुलभता मानकों को निर्धारित करने के लिए थे।
- नियम "गैर-परक्राम्य(non-negotiable)" अनिवार्य मानकों के लिए नहीं बल्कि केवल प्रेरक दिशा-निर्देशों के लिए प्रदान करते हैं।

सुगम्य भारत अभियान

- इसे 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुँच को बढ़ाना है।

मुख्य उद्देश्य

- **सुलभ निर्मित वातावरण:** यह सुनिश्चित करना कि सरकारी इमारतें और सार्वजनिक स्थान दिव्यांगों द्वारा सुलभ उपयोग के लिए सुगमता मानकों का अनुपालन करें।
- **सुलभ परिवहन:** बसों, ट्रेनों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना।
- **सुलभ आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र:** यह सुनिश्चित करना कि वेबसाइट, दस्तावेज़ और मोबाइल एप्लिकेशन सुलभ हों, जिससे दृष्टिबाधित या श्रवण-बाधित व्यक्तियों के लिए उपयोग में सुलभता हो।

Source: IE

ऑस्ट्रेलिया की MATES योजना

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (MATES)।

परिचय

- 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था (MMPA) में प्रवेश किया।
  - यह एक द्विपक्षीय ढांचा है जो अवैध और अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच प्रवासन एवं गतिशीलता का समर्थन करता है।
- MMPA के तहत MATES की स्थापना की गई है।

MATES

- यह भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और शुरुआती करियर के पेशेवरों को दो वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
- पहली पायलट अवधि के दौरान प्राथमिक आवेदकों के लिए वार्षिक 3,000 स्थान उपलब्ध हैं।
- यह योजना 2024 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 100 भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए उपलब्ध होगी।
- **पात्रता:** MATES उन भारतीय नागरिकों के लिए खुला होगा जो:
  - आवेदन के समय 30 वर्ष या उससे कम (समावेशी) आयु के हों;
  - अंग्रेजी भाषा में कुशल हों;
  - आवेदन के समय किसी योग्य शैक्षणिक संस्थान से 2 वर्षों के अंदर स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो;
  - और निम्नलिखित में से किसी एक में योग्यता (स्नातक की डिग्री या उच्चतर) रखते हों: अक्षय ऊर्जा, खनन, इंजीनियरिंग, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वित्तीय प्रौद्योगिकी (FinTech) कृषि प्रौद्योगिकी (AgriTech)।
- MATES प्रतिभागी एक से अधिक बार योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

Source: BS

विश्व बैंक ने ऋण देने की क्षमता वृद्धि की

समाचार में

- विश्व बैंक ने अपनी क्षमता में 50% की वृद्धि की है, तथा अगले दशक में रिकॉर्ड 150 बिलियन डॉलर की पेशकश की है।

परिचय

- धन का एक बड़ा भाग हरित परियोजनाओं और सतत विकास की ओर निर्देशित किया जाएगा।

विश्व बैंक के सुधार

- **आंतरिक सुधार:** तेजी से प्रसंस्करण, बेहतर सहयोग और निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **MDB परिदृश्य सुधार:** बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) के प्रभाव को मजबूत करने के लिए G20 समर्थित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (IEG) की रिपोर्ट द्वारा निर्देशित।
  - 2030 तक $3 ट्रिलियन वार्षिक व्यय की सिफारिश की गई, जिसमें जलवायु कार्रवाई के लिए $1.8 ट्रिलियन और SDGs के लिए $1.2 ट्रिलियन शामिल हैं।
  - जोखिम-सूचित रणनीतियों और नए ऋण साधनों के माध्यम से $240 बिलियन निजी पूंजी जुटाने का समर्थन किया गया।

भारत के लिए लाभ

- **सबसे बड़ा लाभार्थी:** विश्व बैंक के सबसे बड़े ग्राहक भारत को विस्तारित वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है।
- **बढ़ी हुई वार्षिक उधारी:** भारत को दिया जाने वाला ऋण बढ़कर वार्षिक 5 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और डिजिटल शिक्षा जैसे क्षेत्रों को सहायता मिली।

- **लागत बचत:** भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए चार वर्षों के लिए प्रतिबद्धता शुल्क में छूट, जिससे वार्षिक उधारी लागत में 0.25% की कमी आएगी, जिससे संचयी रूप से 1% तक की बचत होगी।

भारत का आर्थिक परिदृश्य:

- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि सरकारी पूंजीगत व्यय में कमी के कारण पहली तिमाही में यह 6.7% तक धीमी हो गई है।
- उच्च उधारी लागत के बावजूद निवेश पर मजबूत रिटर्न के कारण निजी निवेश में अपेक्षित सुधार।

भविष्य की रणनीतियाँ

- अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के बिना ऋण देने में वृद्धि के लिए रणनीतिक बैलेंस शीट प्रबंधन।
- सदस्य देश वोटिंग शेयरों में परिवर्तन किए बिना हाइब्रिड पूंजी का योगदान करते हैं।
- भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों के लिए निजी वित्तपोषण और परिवर्तनकारी परियोजनाओं को जुटाने पर बल।

Source: LM

ऑपरेशन द्रोणागिरी(Operation Dronagiri)

संदर्भ

- हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया।

परिचय

- यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है।
- पहले चरण में, ऑपरेशन द्रोणागिरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लागू किया जाएगा।
- पायलट परियोजनाओं का प्रदर्शन 3 क्षेत्रों - कृषि, आजीविका, रसद और परिवहन में भू-स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा।
- ऑपरेशन द्रोणागिरी को एकीकृत भू-स्थानिक डेटा साझाकरण इंटरफ़ेस (GDI) से समर्थन प्राप्त हुआ है।
    - GDI जो स्थानिक डेटा को सुलभ बनाएगा, उस प्रक्रिया के समान परिवर्तन लाएगा जिसमें UPI ने वित्तीय समावेशन लाया है।

National Geospatial Policy 2022

- नीति स्थानीय कंपनियों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत पर बल देती है
    - अपना स्वयं का भू-स्थानिक डेटा तैयार करना और उसका उपयोग करना;
    - खुले मानकों, खुले डेटा और प्लेटफ़ॉर्म को प्रोत्साहित करना;
    - राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री और एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफ़ेस के माध्यम से भू-स्थानिक डेटा की आसान पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना;
    - भू-स्थानिक क्षेत्र में नवाचार, विचारों के उद्भवन और स्टार्ट-अप पहलों का समर्थन करना; और

- क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय भूगणितीय ढांचे को पुनः परिभाषित करने के लिए सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) नेटवर्क शुरू किया है।

Source: PIB

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

समाचार में

- मणिपुर में मैतेई और कुकी-जो-ह्मार समुदायों के बीच बढ़ती जातीय हिंसा के बीच छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू कर दिया गया है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) के बारे में

- **संक्षिप्त विवरण:**
  - मूल रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों द्वारा प्रख्यापित।
  - संसद द्वारा अधिनियमित और 1958 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित।
  - "अशांत क्षेत्रों" में व्यवस्था वापस लाने के लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
    - विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।
- **प्रावधान:**
  - **धारा 3:** राज्य/संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल को पूरे राज्य या उसके भाग को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है।
  - **धारा 4:** सेना को परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है।
  - **धारा 6:** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त की गई संपत्ति को पुलिस को सौंप दिया जाता है।
  - **धारा 7:** अभियोजन की अनुमति केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दी जाती है।
- **अधिरोपण के राज्य/क्षेत्र:**
  - शुरुआत में पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और पंजाब को निरस्त कर दिया गया था, बाद में पंजाब, त्रिपुरा एवं मेघालय में इसे निरस्त कर दिया गया।
  - अब, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग।

सुधार और सिफारिशें

- **न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005):** AFSPA को निरस्त करने की संस्तुति की, तथा सुझाव दिया कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) इसके स्थान पर लाया जा सकता है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** AFSPA में संशोधन करके मानवाधिकारों के लिए अधिक सुरक्षा उपाय शामिल करने का समर्थन किया।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** यह आकलन करने के लिए प्रत्येक छह महीने में समीक्षा आयोजित की जाती है कि क्या निर्दिष्ट "अशांत क्षेत्रों" में AFSPA का निरंतर कार्यान्वयन आवश्यक है।

Source: TH

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP)

संदर्भ

- दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी तक खराब हो जाने के कारण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शहर के वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए GRAP के तहत 'चरण 3' के आपातकालीन उपायों को लागू करने का आदेश दिया।

GRAP क्या है?

- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) आपातकालीन उपायों का एक समूह है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत, GRAP को शुरू में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा लागू किया गया था और 2021 से CAQM द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
- GRAP को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक समय AQI डेटा तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर सक्रिय किया जाता है। योजना को चरणों में संरचित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चरण विशिष्ट AQI थ्रेसहोल्ड के अनुरूप है:
  - चरण I: खराब (AQI 201-300)
  - चरण II: बहुत खराब (AQI 301-400)
  - चरण III: गंभीर (AQI 401-450)
  - चरण IV: बहुत गंभीर (AQI >450)
- **संशोधित GRAP (1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी):** सर्दियों के महीनों के दौरान वायु गुणवत्ता में गिरावट की आवर्ती समस्या को दूर करने के लिए, 1 अक्टूबर, 2023 से पूरे NCR में संशोधित GRAP लागू किया गया।

GRAP चरण-3 लागू करने के बाद प्रतिबंध और अनुमतियाँ

- सभी गैर-ज़रूरी निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं, जैसे कि सड़क, पुल या अस्पताल, को अनुमति दी गई है।
- ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर जैसे उद्योग जो स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए।
- अस्पताल और आपातकालीन बिजली की आवश्यकताओं जैसी ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर डीज़ल जनरेटर प्रतिबंधित हैं।
- यात्रियों को अपनी कार घर पर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बसों और मेट्रो ट्रेनों जैसे सार्वजनिक परिवहन की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी। हालाँकि, निजी वाहनों को चरण 3 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

Source: TH

■■■■